न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 558–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–2–2014 पारित द्वारा नायब तहसीलदार सांवेर, जिला इन्दौर प्रकरण कमांक 15/अ–13/2012–13.

1– रामगोपाल पिता रामकिशन
2– रामेश्वर पिता रामकिशन
3– तेजराम पिता रामकिशन
4– सांवत पिता रामकिशन
निवासीगण ग्राम कुडाना
तहसील सांवेर जिला इंदौर
5– जाकीर पिता सौराब पटेल
निवासी ग्राम सोल सिंदी
तहसील सांवेर जिला इंदौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– रामचंद्र पिता मुकुन्द खाती
2– भैरूलाल पिता मुकुंदराम खाती
निवासीगण ग्राम कुडाना
तहसील सांवेर जिला इंदौर .....अनावेदकगण

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री ओ.पी. शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 15 जनवरी, 2015)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश 7–2–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 131 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सोल सिंदी तहसील सांवेर जिला इंदौर में आवेदक कमांक 1 के भूमिस्वामी स्वत्व की कृषि भूमि सर्वे कमांक 259 एवं 263/1 कुल रकबा 2.532 हेक्टैयर स्थित है एवं अनावेदक कमांक 2 के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 263/2, 264 एवं 265 कुल रकबा 2.433 हेक्टेयर स्थित है । उक्त भूमियों पर आने–जाने हेतु आवेदक कमांक 1 लगायत 4 की भूमि सर्वे कमांक 239/2 एवं आवेदक कमांक 5 के भूमि सर्वे कमांक 260 के मध्य मेड़ पर 15 फीट चौड़ा रूढ़िगत रास्ता था । आवेदकगण द्वारा अपनी–अपनी मेड़ों को अन्दर से जोतकर अपनी भूमि में मिला लिया है, जिससे रास्ता अवरूद्ध हो गया है, अतः उक्त रास्ता खुलवाया जाये । साथ ही संहिता की धारा 32 के अंतर्गत अंतरिम तौर से रास्ता खुलवाये जाने का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 7–2–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया एवं प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर जिस रास्ते को खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है, वह रूढ़िगत रास्ता नहीं है, और तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण की कृषि भूमि में से रास्ता दिया गया है, जो कि अन्यायपूर्ण कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण में आवेदकगण को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा केवल कोटवार के कहने से प्रश्नाधीन रास्ता खोलने का आदेश दिया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि स्थल निरीक्षण में अन्य कृषक भी उपस्थित नहीं हुए हैं, नजरी नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण को अपनी कृषि भूमि पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त रास्ता खुलवाये जाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो कि निरस्त हुआ है, अतः दोबारा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन रास्ता रूढ़िगत रास्ता है, और अनावेदकगण के पास अपनी भूमि पर आने–जाने हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है, इसलिए तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण कर अंतरिम आदेश पारित करते हुए रास्ता खुलवाने का आदेश देने में पूर्णतः न्यायिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि पंचनामा पर ग्रामवासियों के हस्ताक्षर हैं । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा इस संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद भी प्रस्तुत किया गया था, जो कि आदेश दिनांक 28–2–2014 से निरस्त हुआ है ।

प्रत्युत्तर में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 एवं 2 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, वाद का अंतिम रूप से निराकरण नहीं हुआ है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत आवेदकगण को सूचना पत्र जारी किए गए हैं, जो कि उन पर तामील हुए हैं, और दिनांक 28–5–2013 को आवेदक कमांक 1 लगायत 4 की ओर से श्री के.एस. तोमर, अभिभाषक एवं आवेदक कमांक 5 की ओर से श्री गोपाल कृष्ण वर्मा, अभिभाषक उपस्थित भी हो गये हैं । उभय पक्ष के अभिभाषक उपस्थित होने के पश्चात ही दिनांक 28–10–2013 को प्रकरण स्थल निरीक्षण हेतु नियत किया गया है एवं दिनांक 30–12–2013 को नायब तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया है । स्थल निरीक्षण में भी अनावेदक कमांक 2 रामेश्वर उपस्थित रहा है, पंचनामा पर अन्य कृषकों के हस्ताक्षर भी हैं, स्थल निरीक्षण में रास्ता अवरूद्ध किया जाना पाया गया है । नायब तहसीलदार के समक्ष स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत होने पर नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 7–2–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि स्थल निरीक्षण में आवेदकगण को कोई सूचना नहीं दी गई है, और स्थल निरीक्षण के समय अन्य कृषक भी उपस्थित नहीं रहे हैं । क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि प्रकरण में आवेदकगण के अभिभाषक उपस्थित रहे हैं, और अन्य कृषकों के हस्ताक्षर पंचनामा में है । नायब तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों वे स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण को जाने–जाने व कृषि यंत्र ले जाने का रास्ता वर्तमान में बन्द है, जिससे अनावेदकगण को कृषि कार्य में कठिनाई हो रही है । इस संबंध में भी आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा वैकल्पिक मार्ग होने संबंधी तर्क तो प्रस्तुत किया गया है परन्तु तर्क के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त उभय पक्ष के तर्को से स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रश्नाधीन मार्ग के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त हुआ है । नायब तहसीलदार द्वारा अभी अंतरिम आदेश आदेश किया गया है, और प्रश्नाधीन मार्ग के संबंध में अंतिम आदेश पारित किया जाना है, जहां आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, और वे साक्ष्य से प्रश्नाधीन रास्ता रूढ़िगत नहीं होने एवं अनावेदकगण के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने संबंधी तथ्य को साक्ष्य से प्रमाणित कर सकते हैं । दर्शित परिस्थितियों में नायब तहसीलदार का अंतरिम आदेश वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश 7–2–2014 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर